न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—126 / 2025

प्रार्थीः—

चुन्नीलाल उर्फ चुनाराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. अचलसिंह पुत्र उतमसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
3. मनोहरसिंह पुत्र उतमसिंह उतमसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
4. रतनकंवर पत्नी उतमसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
5. केशाराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
6. जयराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
7. नरसींगाराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
8. नारायणराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
9. मोतीराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
10. रूगाराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
11. सुआदेवी पत्नी जेठाराम जाति कलबी निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
12. उदयसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
13. डुंगरसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
14. रतनसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
15. विशनसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
16. जालमसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
17. सवाईसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी
18. हरेकंवर पत्नी करणसिंह जाति राजपूत निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

1. श्री सुथार व यशपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश :—

दिनांक :— 07.08.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की जर खरीद की संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 663, 664 रकबा कुल रकबा 0.1261 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 665 रकबा 3.7813 हैक्टेयर भूमि ग्राम जेठन्तरी तहसील समदडी में अवस्थित है, वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता जेठाराम ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 09.07.1970 को क्रय की बाद नामान्तरकरण उक्त भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम जेठाराम पुत्र हंसाराम, चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम हिस्सा 1/2 कौम कलबी सा.देह खातेदार दर्ज किया गया। दिनांक 02.12.2006 को प्रार्थी के पिता जेठाराम पुत्र हंसाराम के फौत होने पर फौतगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिससे जेठाराम पुत्र हंसाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में विधिक वारिसान ''चूनाराम, नारायणराम, मोतीराम, केशाराम, नरसींगराम, जयराम, रूगाराम पि.जेठाराम, सुआदेवी पत्नी जेठाराम दर्ज किया गया। सवंत 2074 से 2077 की जमाबंदी राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि का हिस्सा खोलते समय तत्कालीन पटवारी ने लिपिकीय त्रुटिवश खसरा संख्या 665 में प्रार्थी का हिस्सा 1/16 व खसरा संख्या 663 व 664 में प्रार्थी का हिस्सा 1/18–1/18 दर्ज कर दिया गया जो गलत व अशुद्ध है जबकि उक्त भूमि खसरा संख्या 663, 664 व 665 में प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज अनुसार खरीद हिस्सा 1/2 (अर्थात सम्पूर्ण भूमि का 1/4 हिस्सा) तथा स्व. जेठाराम से विरासत/ उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्सा 1/32 इस प्रकार उक्त खसरा संख्या 663 ,664 व 665 की सम्पूर्ण भूमि मे प्रार्थी का सही एवं वास्तविक हिस्सा 9/32 दर्ज किया जाना था, विवादित भूमि में प्रार्थी का हिस्सा अशुद्ध दर्ज होने से प्रार्थी के हक हकूको से वंचित हो गया है। विवादित भूमियों के जमाबंदी में प्रार्थी के दो नाम ''चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम व चुनाराम पुत्र जेठाराम'' दर्ज है,प्रार्थी का सही नाम चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम है। अतः प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र विवादित भूमि में अपने हिस्सा तथा विवादित भूमि की जमाबंदी में दर्ज ''चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम व चुनाराम पुत्र जेठाराम'' के स्थान पर ''चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम'' दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई, तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1974 दिनांक 30.07.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम तथा हिस्से के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में मौजा जेठन्तरी के नामान्तकरण संख्या 63 ,619 व 623 की प्रमाणित प्रतिलिपि व जमाबंदी सं[illegible]–2053, 2053–2056, 2062–65, 2070–70 व 2074–77 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा [illegible] की प्रति पेश की गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं के ब्यान कलमबद्ध किये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की जर खरीद की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 663, 664 रकबा कुल रकबा 0.1261 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 665 रकबा 3.7813 हैक्टेयर भूमि ग्राम जेठन्तरी तहसील समदडी में अवस्थित है,

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता जेठाराम ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 09.07.1970 को क्रय की बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम जेठाराम पुत्र हंसाराम, चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम हिस्सा 1/2 कौम कलबी सा.देह खातेदार दर्ज किया गया। दिनांक 02.12.2006 को प्रार्थी के पिता जेठाराम पुत्र हंसाराम के फौत होने पर फौतगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिससे जेठाराम पुत्र हंसाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में विधिक वारिसान ''चूनाराम, नारायणराम, मोतीराम, केशाराम, नरसींगराम, जयराम, रूगाराम पि.जेठाराम, सुआदेवी पत्नी जेठाराम दर्ज किया गया। सवंत 2074 से 2077 की जमाबंदी राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि का हिस्सा खोलते समय तत्कालीन पटवारी ने लिपिकीय त्रुटिवश खसरा संख्या 665 में प्रार्थी का हिस्सा 1/16 व खसरा संख्या 663 व 664 में प्रार्थी का हिस्सा 1/18–1/18 दर्ज कर दिया गया जो गलत व अशुद्ध है जबकि उक्त भूमि खसरा संख्या 663, 664 व 665 में प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज अनुसार खरीद हिस्सा 1/2 (अर्थात सम्पूर्ण भूमि का 1/4 हिस्सा) तथा स्व. जेठाराम से विरासत/उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्सा 1/32 इस प्रकार उक्त खसरा संख्या 663, 664 व 665 की सम्पूर्ण भूमि मे प्रार्थी का सही एवं वास्तविक हिस्सा 9/32 दर्ज किया जाना था, विवादित भूमि में प्रार्थी का हिस्सा अशुद्ध दर्ज होने से प्रार्थी के हक हकूको से वंचित हो गया है। विवादित भूमियों के जमाबंदी में प्रार्थी के दो नाम ''चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम व चुनाराम पुत्र जेठाराम'' दर्ज है ,प्रार्थी का सही नाम चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राज़स्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना हिस्सा शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 63 ,619 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जेठाराम पुत्र हंसाराम व चुन्नीलाल पुत्र जेठाराम ने जरिये रजिस्र्टड दस्तावेज खरीद की गई, जिससे राजस्व रेकर्ड में जेठाराम पुत्र हंसाराम व चुन्नीलाल पुत्र हंसाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 623 में जेठाराम के फौतगी का नामान्तरकरण में जेठाराम के वारिसान ''चूनाराम, नारायणराम, मोतीराम, केशाराम, नरसींगराम, जयराम, रूगाराम पि.जेठाराम, सुआदेवी पत्नी जेठाराम का नाम दर्ज किया गया परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी ने विवादित भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व विरासत के हिस्से को नजरदांज करते हुए सहवन से प्रार्थी का हिस्सा 9/32 के स्थान पर 1/18 हिस्सा अंकित कर दिया तथा जेठाराम के वारिसान का 1/18 हिस्सा अंकित कर दिया जबकि विवादित भूमि के

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

खरीद अनुसार जेठाराम के वारिसान का 1/32 हिस्सा करना था जिसे दुरूस्त किया जाना यह न्यायालय उचित समझती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा जेठन्तरी तहसील समदडी के खसरा संख्या 663, 664 व 665 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का 1/18 हिस्से के स्थान पर 9/32 हिस्सा शुद्ध किये जाने तथा प्रार्थी का नाम चुन्नीलाल उर्फ चुनाराम पुत्र जेठाराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 07.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested